RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक ९] सोमवार, जुलै १, २०२४/आषाढ १०, शके १९४६ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **१ जुलाई, २०२४** ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XI OF 2024.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ११ सन् २०२४।

महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०२४, १५ मार्च २०२४ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।

(२) यह १५ मार्च २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३० की, उप धारा (१) में "छह महीने" शब्दों के स्थान में, "बारह महीने" शब्द रखे जायेंगे और २३ मार्च २०२० से रखे गए है ऐसा समझा जायेगा। सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ३१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (१) में,—

(एक) "छह महीने" शब्दों के स्थान में, "बारह महीने" शब्द रखे जायेंगे और २३ मार्च २०२० से रखे गए है ऐसा समझा जायेगा ;

(दो) प्रथम परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, राज्य सरकार, जिसे वह ठिक समझे, प्रारूप विकास योजना को मंजूर करने या उसकी मंजूरी को अस्वीकृत करने का अवधि, चाहे उक्त अवधि अवसित हुआ हो या नहीं हुआ हो, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अधिकतर अवधि द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर बढ़ा सकेगी ;";

(तीन) तृतीय और चतुर्थ परंतुक अपमार्जित किए जायेंगे।

सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २००४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. ३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रदेशों में भूमि का विकास करने और उपयोग करने की योजना के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अध्याय तीन में नगर नियोजन योजना उचित रीत्या बनाई गई है और उसका निष्पादन प्रभावी हुआ है, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास योजना का उद्देश घोषित करने, उसे तैयारी करने, प्रस्तुत करने और मंजूरी देने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के लिए उपबंध किये है।

२. उक्त अधिनियम **अन्य बातों के साथ,** सभी योजना प्रक्रिया के एक समयबद्ध कार्यक्रम के लिए उपबंध करता है और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर योजना बनाने में योजना प्राधिकरण असफल हो जाता है तो, योजना की संपूर्ण प्रक्रिया व्यपगत हो सकेगी। यह अधिनियम, विकास की अनुमति, भूमि का अर्जन और अन्य अनुमतियों से संबंधित समय रेखा के लिए भी उपबंध करता है और विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्, सुसंगत अनुमतियाँ अनुमोदित की गई है ऐसा समझा जायेगा, या, यथास्थिति, सुसंगत कार्यवाहियाँ व्यपगत हो चूकी है ऐसा समझा जायेगा।

३. उक्त अधिनियम की धारा ३० यह उपबंध करती है कि, प्रत्येक योजना प्राधिकरण, विकास योजना तैयार करने संबंधी धारा २६ के अधीन **राजपत्र** में सूचना के प्रकाशन के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर या उसके परंतुक में यथा उल्लिखित ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर प्रारूप विकास योजना मंजूर करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिनियम की धारा ३१ यह उपबंध करती है कि राज्य सरकार, योजना प्राधिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत की गई प्रारूप विकास योजना, योजना प्राधिकरण से उसकी प्राप्ति के दिनांक से छह महीने की अवधि भीतर, या उसके प्रथम परंतुक में यथा उल्लिखित ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के भीतर मंजूर कर सकेगी।

४. यह ध्यान में आया था कि, वर्ष २०१७ और २०१८ के दौरान, योजना प्राधिकरणों, जैसे कि नगर परिषदों और **नगर पंचायतों** की संख्या में वृध्दि हो गई है, इसलिए, ऐसे योजना प्राधिकरणों के लिए विकास योजना तैयार करना आवश्यक बन गया है। सरकार ने देखिये सरकारी संकल्प नगरविकास विभाग दिनांकित २५ जनवरी २०१९ द्वारा भौगोलिक जानकारी प्रणाली (जीआईएस) के उपयोग द्वारा प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए योजना प्राधिकरणों को निदेश दिए हैं। प्रारूप विकास योजना तैयारी करने और उसे मंजूरी देते समय योजना प्राधिकरणों और राज्य सरकार को कई सुझाव और आक्षेप प्राप्त हुए है। इसलिए, इस प्रकार प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने तथा अनुबद्ध समय-सीमा के भीतर प्रारूप विकास योजना तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी करना कठिन हो गया था। इस कारण यह संभावना थी कि, अध्याय तीन के अधीन प्रारूप विकास योजना तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया, इस अधिनियम में उपबंधित अल्प अवधि के कारण व्यपगत हो सकेगी और अंततः ऐसे योजना प्राधिकरणों की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर सकेगी।

इसलिए, धारा ३० की उप-धारा (१) और धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन प्रारूप विकास योजना की मंजूरी की अवधि छह महीने से बारह महीने तक बढ़ाने और योजना प्राधिकरण द्वारा उसे प्रस्तुत प्रारूप विकास योजना को मंजूरी का अवधि **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को, समर्थ बनाना आवश्यक है। इसलिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा ३० की, उप-धारा (१) और धारा ३१ की उप-धारा (१) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया था।

५. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अत: महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (सन् २०२४ का महा. अध्यादेश क्र. ३) १५ मार्च २०२४ को प्रख्यापित किया गया था।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई, **एकनाथ शिंदे,**

दिनांकित २७ जून, २०२४। मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ३ (दो).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, प्रारूप विकास योजना की मंजूरी लेने या उसकी मंजूरी अस्वीकृत करने की अवधि जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अधिकतर अवधि द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित : १ जुलाई, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.